राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

56वीं बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2016 से संबंधित कार्य बिन्दु

<table>
<tr><th>क्र.सं</th><th>कार्य बिन्दु</th><th>कृत कार्रवाई</th></tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>i) “प्रधानमंत्री मुद्रा योजना” के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु निर्धारित लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति हेतु संबंधित बैंक सूक्ष्म उद्यमियों एवं एवं छोटे व्यपारियों और विशेष रुप से महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करना सुनिश्चित करें।

ii) “स्टार्ट-अप इण्डिया योजना” के तहत जनजाति, दलित एवं महिला वर्ग में उद्यमिता विकसित करने हेतु बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किए जाए।

(कार्रवाई - समस्त बैंक)</td>
<td>i) “प्रधानमंत्री मुद्रा योजना”
(` लाख में)
<table>
<tr><th>वर्ग</th><th>खाताधारकों की संख्या</th><th>निर्धारित लक्ष्य राशि</th><th>वितरित ऋण राशि</th></tr>
<tr><td>शिशु</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>किशोर</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>तरुण</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

ii) “स्टार्ट-अप इण्डिया योजना”
<table>
<tr><th>वर्ग</th><th>लाभार्थियों की संख्या</th><th>वितरित ऋण राशि (` लाख में)</th></tr>
<tr><td>जनजाति</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>दलित</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>महिला</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>कुल</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>iii) “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना” के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में ऋण किए जाएं।

(कार्रवाई - समस्त बैंक)</td>
<td>iii) “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना”

(` लाख में)
<table>
<tr><th>गतिविधि</th><th>लाभार्थियों की संख्या</th><th>वितरित ऋण राशि</th></tr>
<tr><td>सूक्ष्म एवं विनिर्माणक उद्यम (परियोजना लागत ` 5 लाख तक)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>व्यवसाय एवं सेवा गतिविधियाँ (परियोजना लागत ` 3 लाख तक)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>कुल</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>i) राज्य में बैंकों द्वारा 16,570 चूककर्ता ऋणियों के विरुद्ध ` 116.82 करोड़ की वसूली प्रमाण पत्र (आर.सी.) जारी किए गए हैं। शासन से अपेक्षा है कि बैंक ऋणों की वसूली में तेजी लाएं।<br><br><b>(कार्रवाई - राज्य प्रशासन)</b><br><br>ii) एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत बैंकों का कुल एन.पी.ए. ` 1060.25 करोड़ है। अत: एन.पी.ए. को कम करने हेतु सरकार द्वारा बैंकों से वित्तपोषित Sick & Viable Units को पुनर्जीवन एवं पुनर्वास हेतु संभाव्यता आधारित योजना निर्धारित की जानी अपेक्षित है।
(कार्रवाई - राज्य प्रशासन)</td>
<td></td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>iii) राज्य सरकार से अनुरोध है कि “वसूली प्रमाण पत्र” को राजस्व विभाग के वेबपोर्टल पर ऑन-लाइन फाइलिंग करने की सुविधा प्रदान की जाए।

(कार्रवाई - राज्य सरकार)</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>सभी बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु निर्धारित लक्ष्यों को शत प्रतिशत प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
(कार्रवाई - समस्त बैंक / अग्रणी जिला प्रबंधक)</td><td>
<table>
<tr><th>विभिन्न ऋण योजनाएं</th><th>प्राप्त आवेदनों की संख्या</th><th>वितरित आवेदनों की संख्या</th></tr>
<tr><td>पी.एम.ई.जी.पी.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>वीर चंद्र सिंह पर्यटन योजना</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>एन.आर.एल.एम.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>एन.यू.एल.एम.</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>i) राज्य के 1397 एस.एस.ए. / क्लस्टर जहाँ ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं थी, उनमें से 216 स्थानों पर कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकती है (40 एस.एस.ए. में ब्रौड बैण्ड तथा 176 क्लस्टर पर वाई.-मैक्स कनेक्टिविटी)। संबंधित बैंक उन स्थानों में ऑन-लाइन बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु अपनी आवश्यकतानुसार ब्रॉड बैण्ड / वाई.-मैक्स कनेक्टिविटी प्राप्त करने हेतु बी.एस.एन.एल. से आवेदन कर सकते हैं।
(कार्रवाई - संबंधित बैंक)</td><td>i) 1397 कनेक्टिविटी रहित एसएसए / क्लस्टर में कनेक्टिविटी पहुँचाने की अद्यतन स्थिति :
<table>
<tr><th></th><th>31.12.2015 तक की स्थिति</th><th>31.03.2016 तक की प्रगति</th></tr>
<tr><td>ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी की उपलब्धतता</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>वाई.-मैक्स कनेक्टिविटी की उपलब्धतता</td><td>176</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	ii) बी.एस.एन.एल. से आग्रह है कि **शेष 1181 एस.एस.ए. / क्लस्टर** में भी कम से कम **128 kbps** गतियुक्त ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी पहुँचाने की समुचित व्यवस्था करें, ताकि बैंकों द्वारा वहाँ ऑन-लाइन बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें। **(कार्रवाई - बी.एस.एन.एल.)** **iii)** वित्त मत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी रहित एस.एस.ए. में नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित **सोलर वी.-सैट** को संबंधित बैंकों को अपने आवंटित एस.एस.ए. में स्थापित करना है। **(कार्रवाई - संबंधित बैंक)**	**iii) दिनांक 31.03.2016 तक "सोलर वी.-सैट" स्थापित करने की स्थिति :** **चिन्हित एस.एस.ए. की कुल संख्या** | **स्थापित सोलर वी.-सैट की संख्या** |
5	**i)** गठित **स्वयं सहायता समूहों** को क्रियाशील बनाए रखने के लिए, उनका शीघ्र बैंक लिंकेज कर, कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत किया जाए। **(कार्रवाई - संबंधित बैंक)** **ii)** भारत सरकार एवं नाबार्ड के निर्देशानुसार सभी बैंकों की ग्रामीण एवं अर्धशहरी शाखाएं 01 से 15 मार्च, 2016 के मध्य कम से कम 4 ग्राम स्तरीय एस.एच.जी बैंक लिंकेज कार्यक्रम आयोजित करें। **(कार्रवाई - संबंधित बैंक/नाबार्ड)**	**1) स्वयं सहायता समूह** **लिंकेज हेतु परिपक्व एस.एच.जी. की संख्या** | **बैंक लिंक्ड एस.एच.जी. की संख्या** | **स्वीकृत सी.सी.एल. राशि (` लाखों में)** | | **ii)** **ग्रामीण एवं अर्धशहरी शाखाओं की संख्या** | **ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों की संख्या** | **एस.एच.जी. बैंक लिंकेज की संख्या** | |

<table>
<tr><td></td><td>iii) राज्य सरकार से अनुरोध है कि बैंकों द्वारा ` 5 लाख तक के वित्तपोषित स्वयं सहायता समूहों को कृषि ऋणों की भाँति “स्टॉम्प शुल्क” से विमुक्त रखने की अधिसूचना जारी करवाने की व्यवस्था करें, क्योंकि अधिकतर एस0एच0जी0 गरीब ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं और इस हेतु प्राप्त बैंक ऋण राशि का उपयोग कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों के लिये किया जाता है।

(कार्रवाई - सचिव, वित्त / सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखंड शासन/ जिलाधिकारी / नाबार्ड / अग्रणी जिला प्रबंधक)</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>हथकरघा विभाग द्वारा प्रेषित बुनकरों के आवेदन पत्रों का बैंकों द्वारा एक माह के अंदर निस्तारित कर, उन्हें “वीवर क्रेडिट कार्ड” जारी करें।

(कार्रवाई - समस्त बैंक एवं हथकरघा विभाग)</td><td>बैंक द्वारा हथकरघा / वीवर क्रेडिट कार्ड हेतु दिए गए ऋणों की 31 दिसम्बर, 2015 तक की स्थिति

<table><tr><th>बैंक का नाम</th><th>वीवर क्रेडिट कार्ड की संख्या</th><th>वितरित ऋण राशि (` लाख में)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>7</td><td>सभी बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक मार्च, 2016 तक अपने ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि करने हेतु समुचित रणनीति के तहत ठोस कदम उठाएं, ताकि प्रगति परिलक्षित हो।

(कार्रवाई - समस्त बैंक / अग्रणी जिला प्रबंधक)</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>8</td>
<td>सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित किया जाए।

(कार्रवाई - समस्त बैंक / अग्रणी जिला प्रबंधक)</td>
<td>
<table>
<tr><th>योजना</th><th>लक्ष्य</th><th>पंजीकृत खाताधारकों की संख्या</th></tr>
<tr><td>पीएम - एसबीवाई</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>पीएम - जेजेबीवाई</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>एपीवाई</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>सभी बैंक नियंत्रक, मार्च, 2016 की त्रैमासिक एस.एल.बी.सी. विवरणी 1-49 पूर्णत: जाँच करने के उपरांत सही एवं वास्तविक आँकड़े, दिनांक 15 अप्रैल, 2016 तक एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट www.slbcuttarakhand.com पर ऑन-लाइन प्रेषण करें।

(कार्रवाई - सभी बैंक / अग्रणी जिला प्रबन्धक)</td>
<td></td>
</tr>
</table>

****

सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा की गयी प्रगति

(01.04.2015 से 31.12.2015)

योजना	लक्ष्य	आवेदन प्राप्त	आवेदन निस्तारित	आवेदन लम्बित
वीर चंद्र सिंह पर्यटन योजना	**500**			
i) वाहन ऋण	250			
ii) गैर-वाहन ऋण	250			
पी.एम.ई.जी.पी.	**1036**			
i) डी.आई.सी.	414			
II). के.वी.आई.सी.	311			
iii) के.वी.आई.बी.	311			
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	**1100**			
एस.सी.पी.	**1705**			
i) अनुसूचित जाति	1588			
ii) अनुसूचित जनजाति	100			
iii) अल्पसंख्यक समुदाय	17			
उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन	**925**			
i) कैश क्रेडिट लिमिट (एस.एच.जी.)	650			
ii) टर्म लोन (एस.एच.जी.)	275			